(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसा निर्णय किस तिथि को लिया गया और किस-किस देश से कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया;

(ग) आयातित गेहूं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और सरकार द्वारा आयातित गेहूं के आरक्षित भंडार को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) सरकार किन-किन माध्यमों से आयातित गेहूं जनता को किस दर पर उपलब्ध कराएगी और इसका बाजार भाव से उपलब्ध गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):** (क) और (ख) गेहूं के उत्पादन में गिरावट होने और इसके परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में गिरावट होने और घरेलू बाजार में गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 4.12.1996 को निदेश दिया कि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 2 मिलियन टन गेहूं का आयात किया जाए। राज्य व्यापार निगम ने अब तक 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए ठेका किया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

| देश का नाम | ठेकाबद्ध मात्रा (लाख टन में) |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 13.25 |
| कनाडा | 2.50 |
| अर्जेन्टीना | 1.00 |

(ग) अब तक ठेका किए गए गेहूं की कुल लागत और भाड़ा क़ीमत लगभग 290 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) है। यह निर्णय लिया गया है कि आयातित गेहूं की ढुलाई प्राथमिक रूप से उन तटवर्ती राज्यों में की जाए जहां खेप पहुंचेगी। भारतीय खाद्य निगम ने इन राज्यों में आयातित गेहूं के स्टाक का सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण करने के लिए व्यवस्था की है।

(घ) आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल के स्टाक में शामिल किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्टाक की पर्याप्तता पर निर्भर करते हुए आयातित गेहूं का उपयोग घरेलू उपयोग के लिए खुली बिक्री हेतु भी किया जा सकेगा। आयातित गेहूं का बिक्री मूल्य वही होगा जो विदेशी गेहूं का होगा तथा यह मूल्य उस योजना पर निर्भर करेगा जिसके अधीन इसे जारी किया गया है। आयातित गेहूं के स्टाक से देश में गेहूं की समूची उपलब्धता में वृद्धि होगी।

**Export of Sugar to ensure Clearance of arrears due to Cane Growers**

182. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government had decided to export sugar in order to ensure clearance of arrears due to cane growers;

(b) if so, the amount of sugar to be exported and the national stock position of sugar as it existed on the eve of the said decision; and

(c) how much sugar has since been exported and to which countries and at what rate?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) In view of the high level of production achieved during the sugar season 1994-95 and still higher production level during 1995-96 season, Government, has beginning August 1995, from time to time notified a quantity of 13.25 lakh tonnes of sugar for export in suitable instalments, under the provisions of Sugar Export Promotion Act, 1958, through the Notified Export Agencies viz. Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd. (ISGIEIC) & State Trading Corporation of India (STC). Against this, a quantity of about 11.00 lakh tonnes has been physically exported upto the month of January, 1997. Further, consequent upon De-Canalisation of export of sugar w.e.f. 15.1.1997, Government has placed a quantity of 2.5 lakh tonnes of free sale sugar out of 1996-97 season's production at the disposal of Agricultural and Processed Food Products Export Develop-

ment Authority (APEDA), who would monitor the export of sugar under the new system.

The monthend end stock position as on July, 1995 and December, 1996 was about 71.77 lakh tonnes and about 73.71 lakh tonnes respectively.

The quantity of sugar exported and the average per metric tonne prices of sugar exported are as under:—

| Financial Year | Quantity (in lakh tonnes) | Price of sugar exported (in rupees PMT) |
|---|---|---|
| 1995-96 | 4.49 (P) | Rs. 13680.32 (P) |
| 1996-97 (upto 31.1.97) | 7.61 (P) | Exports in progress. |

(P) means Provisional

Sugar has been exported to Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, Russia, Bangaladesh, Kenya, Yemen, Myannar, Eritrea, Jordan, Dubai, Maldives, Aden Somalia, and Ealman etc.

### आयातित गेहूं की किस्म

183. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी मात्रा में गेहूं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं के आयात के संबंध में लिए गए निर्णय में आयातित गेहूं की किस्म और मात्रा को ध्यान में रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि आयातित गेहूं की किस्म बहुत ही घटिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि घटिया किस्म का गेहूं आयात न किया जाए, कोई कदम उठाए हैं;

(च) क्या सरकार इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कि आयातित गेहूं घटिया किस्म का नहीं है, एक उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):** (क) से (ङ) 1996-97 के दौरान हुए गेहूं के कम उत्पादन और परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में कमी और घरेलू बाजार में गेहूं और गेहूं उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम को 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने के निदेश दिए हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, और अर्जेन्टीना से अब तक 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने का ठेका किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं कि आयातित गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित किए गए पैरामीटरों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सफाई और संगरोध संबंधी मानदण्डों के अनुरूप हों। आयात के ठेकों की शर्तों के अनुसार, कनाडा और आस्ट्रेलिया में जहाज में लादे जाने वाले गेहूं के लदान से पूर्व सरकारी एजेंसियों द्वारा और अर्जेन्टीना के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय साख वाले गुणवत्ता सर्वेक्षकों द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में यह भी निर्णय किया गया है कि लदान से पूर्व गुणवत्ता संबंधी जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और खाद्य मंत्रालय के गुणवत्ता विशेषज्ञों के संयुक्त दल आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना भेजे जाएं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

### Bungling by FCI

184. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report ap-